

क्रमांक 11191-2 जी०एस०-II-75/1268

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, हरियाणा के सभी उपायुक्त तथा सभी उपमण्डल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दिनांक, चण्डीगढ़, 16 जनवरी, 1976 ।

विषय : भूतपूर्व सैनिकों को सैनिक सेवा का लाभ देना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको सम्बोधित करते हुए यह कहने का आदेश हुआ है कि ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने एम०ई०एस० तथा आर्जेंट्स फौट्री में सैनिक सेवा की है, उनको सिविल सेवा में नियुक्ति पर पंजाब नेशनल एमरजेंसी (कन्सिशन) नियम 1965 के अन्तर्गत सैनिक सेवा का लाभ नहीं दिया जा सकता है । यदि इन दोनों एजेंसीज से सैनिक सेवा से रिलीज होने के पश्चात् सिविल सेवा में नियुक्ति पर किसी भूतपूर्व सैनिक को लाभ दिया गया है तो उसे तुरन्त वापिस ले लिया जाए ।

भवदीय,

हस्ता०

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते० मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति :—

वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।